



कार्यालय ज्ञाप

पत्रांक: 12668 / पविविनिलि-एमटी / 656 / 11-12

दिनांक: 05.10.2015

कार्यालय ज्ञाप सं० 11621 / पविविनिलि-एमटी / 656 / 11-12 दिनांक 18.09.2015 के अनुपालन में मैसर्स ईस्ट इंडिया उद्योग, 145-जी०टी० रोड़ गाजियाबाद द्वारा क्रयादेश सं० 5943 / पविविनिलि-एमटी / 656 / 11-12 दिनांक 08.07.2011 के अंतर्गत पूर्व में आपूर्ति 14 नग 10 एमवीए परिवर्तकों के अगले पाँच वर्षों में क्षतिग्रस्त होने अथवा अधोमानक गुणवत्ता का पाये जाने पर ऐसे परिवर्तकों को तकनीकी विशिष्टीकरण एवं स्वीकृत जी०टी०पी० के अनुरूप निःशुल्क बनाये जाने एवं नियमानुसार स्टेज एवं फाईनल निरीक्षण की प्रक्रिया के उपरान्त प०वि०वि०नि०लि० में आपूर्ति किये जाने हेतु अपनी सहमति दे दी गयी है तथा इन परिवर्तकों की परफारमेंस गारण्टी के सापेक्ष रू०. 51,86,250.00 की बैंक गारण्टी सं० 15IBG124 दिनांक 14.09.2015 जमा करा दी गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत फर्म द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं० 11621 / पविविनिलि-एमटी / 656 / 11-12 दिनांक 18.09.2015 के बिन्दु(1) एवं (2) पर उल्लिखित प्रतिबन्धों का अनुपालन किये जाने / स्वीकृति दिये जाने पर मैसर्स ईस्ट इंडिया उद्योग, 145-जी०टी० रोड़ गाजियाबाद की व्यापार निषिद्धता को समाप्त करते हुए प०वि०वि०नि०लि० के साथ तात्कालिक प्रभाव से पुनः व्यापार करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

(विजय विश्वास पंत)

प्रबंध निदेशक

दिनांक: 05.10.2015

पत्रांक: 12668 / पविविनिलि-एमटी / 656 / 11-12

प्रतिलिपि मै० ईस्ट इंडिया उद्योग, 145-जी० टी० रोड़ गाजियाबाद।

(जी०के०गुप्ता)

मुख्य अभियंता(सा०प्र०)

दिनांक: 05.10.2015

पत्रांक: 12668 / पविविनिलि-एमटी / 656 / 11-12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० पॉवर कापोरेशन लि०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कापोरेशन लि०, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), उ०प्र०पाकालि०, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण, उ०प्र०पाकालि०, लखनऊ।
5. उपमहाप्रबन्धक (लेखा), पविविनिलि, मेरठ।
6. समस्त अधिशासी अभियंता, विद्युत भण्डार खण्ड, पविविनिलि, मेरठ।

(जी०के०गुप्ता)

मुख्य अभियंता(सा०प्र०)